	दिनेश श्रृंगी बनाम भारत संघ वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निर्णय	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-7-22	प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सपठित धारा 151 जा. दी. पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित (प्रार्थी) प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O-7 R-11 व धारा 151 जा. दी. पर पूर्व पेशी पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। (प्रार्थी) प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि हमारे द्वारा रेल्वे भूमि की सीमा पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है। वादी की भूमि पर निर्माण कार्य नही किया जा रहा है और न ही वादी की भूमि पर कब्जा किया गया है रेल्वे द्वारा मिशन रफ्तार के तहत बाउन्ड्रीवाल का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2016 में रेल्वे विभाग द्वारा अपनी भूमि की सीमाओ में पिलर गाड कर सीमाऐ निर्धारित की गई थी। उस वक्त भी खातेदार कृषक द्वारा कोई आपत्ती नही की गई। (प्रार्थी) प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पास रेल्वे विभाग का अधिकृत नक्शा दिनांक 25-5-1970 के आधार पर रेल्वे विभाग द्वारा रेल्वे की सीमा में ही बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। रेल्वे	

व रेल्वे के अन्य कार्यों को करने हेतु रेल्वे के वाहनो के आने-जाने हेतु रेल्वे द्वारा ही रेल्वे की सीमाओ मे ही बनाया गया था (वादी) अप्रार्थी को रेल्वे विभाग की भूमि पर निर्माण कार्य रोके जाने का कोई हक अधिकार नही है और न ही रेल्वे विभाग के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है। (वादी) अप्रार्थी का वाद विधि विरूद्व होने से अपने तर्क मे के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) No. 1974/2021 प्रस्तुत किया और निवेदन किया। कि (वादी) अप्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया चलने योग्य नही है (प्रार्थी) अप्रार्थीगण 1लगायत3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O-7 R-11 CPC स्वीकार किया जाकर (वादी) अप्रार्थी का वाद खारिज करवाया जावे।

अप्रार्थी (वादी) के अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता का विरोध करते हुए बहस मे तर्क दिया कि वाद-पत्र विधि विरूद्व नही है। वादी की कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने का अधिकार प्रतिवादीगण 1लगायत3 को नही है। रेल्वे द्वारा गाडे का पी.आर.सी पीलर की दूरियों मे अन्तर है और यह भी स्पष्ट नही है कि रेल्वे द्वारा कितनी भूमि छोडी हुई है और निवेदन किया कि प्रतिवादीगण 1लगायत3 का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O-7-R-11 CPC खारिज करवाया जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
(प्रार्थी) अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से कार्यदेश संख्या W/6844/T दिनांक 15-1-2015 से दिनांक 8-5-2016 को रेल्वे भूमि का सीमांकन करने के लिए रिलीज पी.आर.सी स्थापित को लगाकर रेल्वे भूमि की सीमा निर्धारित ~~हुई~~ की गई। वर्ष 2016 में खातेदार कृषक द्वारा आपत्ति की जानी थी किन्तु खातेदार कृषक द्वारा रेल्वे की सीमा निर्धारण पर कोई आपत्ति प्रकट नही गई। इससे सिद्ध होता है कि रेल्वे विभाग द्वारा निर्माण कार्य रेल्वे के अधिकृत नक्शे के आधार पर सीमा का निर्धारण करते हुए निर्माण कार्य किया जाना प्रमाणित होता है जिसको रुकवाने का अधिकार वादी को नही है इस प्रकार वादी का वाद विधि विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। अतः (प्रार्थी) प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है	
अतः प्रार्थी (प्रतिवादीगण 1 लगायत 3) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद खारिज किया जाता है तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

AP डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मांगरोल

व इजलास श्री युगान्तर शर्मा R.A.S.

1 दिनेश कुमार सोनी आत्मज मोहनलाल जाति स्वर्णकार निवासी गांधीपुरा मांगरोल (वादी) बनाम 1 भारत संघ जरिये जनरल मैनेजर प. म. रेल्वे जोन जबलपुर

दावा बाबत 188 R.T.A.

मुकदमा नम्बर 103/दावा/2021 सन ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजिरी श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरू श्री अजय कुमार गुप्ता .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद-पत्र खारिज किया जाता है

.... बाबत .... खर्चा इन निज .... मुबलिग .... फीसदी सालाना आज की तारीख मुकद्दमें के मय सूद बशरंह .... से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-07-2022 माह .... सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल (बारां)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. डी.आर.एम. प.म. रेल्वे आफिस कोटा राज.

3. सम्पदा अधिकारी प.म. रेल्वे आफिस कोटा.

4. सारथी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एम.एल.बी रोड ग्वा... मध्य प्रदेश.

5. साईड इंचार्ज सारथी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी टोल नाका के पास इन्द्रगढ़ जिला बून्दी.

6. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर बून्दी

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)